



**SITAPUR POLICE**

**“सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा”**



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

**चोरी की योजना बनाते हुए दो शातिर अभियुक्त, लोहे का सब्बल, पेचकस, प्लास और 16 चाबियों के गुच्छे के साथ गिरफ्तार**

दिनांक:-29.10.2026

जनपद सीतापुर में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनकी धरपकड़ हेतु पुलिस अधीक्षक सीतापुर, श्री अंकुर अग्रवाल महोदय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी), श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सिधौली, श्री वेदप्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में थाना कमलापुर पुलिस टीम द्वारा जलालपुर-मछरेहटा रोड पर श्री लक्ष्मी धर्म काँटे के पास से चोरी की योजना बना रहे 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक बिना नंबर की सफेद रंग की अर्टिगा कार तथा ताला तोड़ने के उपकरण (लोहे का सब्बल, पेचकस, प्लास और 16 चाबियों के दो गुच्छे) बरामद किए गए हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

1. रिकू पुत्र अनिल कुमार (चालक सीट पर मौजूद), निवासी- उसरी, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर।
2. सुनील कुमार पुत्र शिवराम, निवासी- उसरी, थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर।

**बरामदगी का विवरण:**

1. घटना में प्रयुक्त वाहन: एक सफेद रंग की अर्टिगा कार (बिना नंबर प्लेट)
2. ताला तोड़ने के उपकरण:
  - एक अदद लोहे का सब्बल (लंबाई करीब 4 बालिस्त 05 अंगुल)।
  - एक अदद पेचकस (हरे रंग का हत्था, कुल लंबाई करीब 1 बालिस्त 04 अंगुल)।
  - एक अदद प्लास।
  - दो गुच्छे लोहे की चाबियाँ (प्रत्येक गुच्छे में 8-8 कुल 16 चाबियाँ)।

पकड़े गए अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे रात करीब 3:00 बजे के बाद जलालपुर क्षेत्र में किसी दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कमलापुर पर मु0अ0सं0 251/2026 धारा 313 BNS के तहत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

### गिरफ्तारी/बरामद करने वाली पुलिस टीम:

1. निरीक्षक अपराध सुनीत कुमार — थाना कमलापुर, जनपद सीतापुर।
2. का0 कमलेश शर्मा
3. का0 कृष्णपाल
4. का0 शुभम ढाका
5. का0 संदीप कुमार
6. चालक निकित कुमार

